

प्रेषक,

अरुण सिंघल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश। | 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश। |
| 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश। | |

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 19 सितम्बर, 2013

विषय:-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित पाइप पेयजल योजनाओं से व्यक्तिगत पेयजल कनेक्शन लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराये जाने की रूप-रेखा बनाई गयी है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों, सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्टों एवं अन्य जल स्रोतों पर अति निर्भरता को धीरे-धीरे कम किया जाना है।

2- उपर्युक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-1862/अड्तीस-5-2013-67सम/2007, दिनांक 19 जुलाई, 2013 के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पाइप पेयजल योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन एवं ग्रामवासियों में स्वामित्व की भावना विकसित करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में सामान्य परिवार द्वारा रू0 450.00 (रूपये चार सौ पचास मात्र) तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/बी0पी0एल0 परिवारों से रू0 225.00 (रूपये दौ सौ पच्चीस मात्र) प्रति परिवार अपफ्रन्ट अंशदान देने वाले ग्रामों/ मजरो को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने में प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-डब्लू-11042/ 31/2012-वाटर II, दिनांक फरवरी, 2013 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण अंचलों में अधिष्ठापित पाइप पेयजल योजनाओं से व्यक्तिगत पेयजल कनेक्शन लिये जाने हेतु ग्रामवासियों/समुदाय को अभिप्रेरित किये जाने हेतु आशा कार्यकर्त्रियों को रू0 75.00 प्रति कनेक्शन की दर से प्रोत्साहन धनराशि दिया जायेगा। उक्त धनराशि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सपोर्ट मद से दिया जायेगा। यह प्रोत्साहन राशि निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु अभिप्रेरणा के लिए दी जाने वाली धनराशि से पृथक होगी।

4- ग्रामीण अंचलों में अधिष्ठापित पाइप पेयजल योजनाओं से व्यक्तिगत पेयजल कनेक्शन लिये जाने हेतु ग्रामवासियों/समुदाय को अभिप्रेरित किये जाने हेतु आशा कार्यकर्त्रियों को प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने की व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय, जिससे आशा

